# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग
## —::संकल्प::—

निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4349 अनु0 दिनांक 20.08.2013 द्वारा श्री अखलाकुर्रहमान, निविदाकार के आवेदन के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, अररिया द्वारा निविदा टू–बीड पद्धति के तहत आमंत्रित अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 11/10–11 के निविदा ग्रुप सं0–2, 6, 8, 18, 23 एवं 24 के निविदा प्रक्रिया की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में पूरी निविदा प्रक्रिया के तकनीकी मूल्यांकन की समीक्षा की गई है। उक्त समीक्षा में ग्रुप सं0–06, 18 एवं 24 के तकनीकी बीड का मूल्यांकन निविदा के शर्तों के अनुरूप नहीं पाया गया।

**2.** जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, अररिया, जो तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में उक्त तीनों तकनीकी बीड के निष्पादन से संबद्ध थे, के विरूद्ध ग्रुप सं0–06, 18 एवं 24 के तकनीकी बीड का मूल्यांकन निविदा के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 2934 अनु0 दिनांक 20.09.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री कुमार द्वारा कई स्मारों के बाद अंततः अपना स्पष्टीकरण दिनांक 07.08.2023 को समर्पित किया गया एवं इन्होने इन सब अनियमितताओं पर अपना स्पष्टीकरण देने के बजाय केवल श्री अखलाकुर्रहमान के द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि इनके द्वारा न केवल स्पष्टीकरण देने में विलंब किया है बल्कि माँगे गये स्पष्टीकरण से अलग हटकर अपनी जिम्मेवारी से बचने का प्रयास किया गया है। तदालोक में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

**3.** उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को विभागीय संकल्प सं0–1994 दिनांक 05.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया। साथ ही इनके विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट आरोपों की गहन/विस्तृत जाँच के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

**4.** अतएव श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, अररिया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु डॉ0 फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री गणेश कुमार मंडल, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

**5.** श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, अररिया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के

दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

**आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–509/2012 /पटना, दिनांक :–

**प्रतिलिपि** :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ डॉ0 फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–509/2012 /पटना, दिनांक :–

**प्रतिलिपि** :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री गणेश कुमार मंडल, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, अररिया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–509/2012 2300 /पटना, दिनांक :– 20.8.24

**प्रतिलिपि** :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव